

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2025 / 482/8

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाज विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्रा०भा०इति०सं० एवं पुरातत्व के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

प्रा०भा०इति०सं० एवं पुरातत्व अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. प्रो. महेशचन्द्र श्रीवास्तव,
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, प्रा.भा.इति.सं. एवं पुरातत्व विभाग
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

28(2) दो

1. रिक्त
2. रिक्त

28(2) तीन

1. रिक्त

28(2) चार

1. रिक्त
2. रिक्त

28(2) पाँच

1. डॉ. गोविन्द सिंह दांगी
सहायक प्राध्यापक, प्रा.भा.इति.सं. एवं पुरातत्व विभाग
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
2. डॉ. धीरज लाल विश्वकर्मा
प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, प्रा.भा.इति.सं. एवं पुरातत्व विभाग
श्री मोहनलाल कालेज ऑफ आर्ट्स साइंस एण्ड मैनेजमेण्ट
विरसिंहपुर, जिला सतना (म.प्र.)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत प्रो. महेशचन्द्र श्रीवास्तव, को प्रा०भा०इति०सं० एवं पुरातत्व के अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)